समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 08 September 2026

एसटी यात्रियों को राहत : बस स्टॉप होटलों पर अब 40 रुपये मे चाय-नाश्ता, मनमानी कीमतों पर लगेगी रोक

Sanket Morankar

Published on 13 Mar 2026

लंबी दूरी की एसटी बस यात्रा के दौरान अधिकृत बस स्टॉप होटलों पर यात्रियों से चाय-नाश्ते के लिए ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायतें अक्सर सामने आती थीं। अब इस पर रोक लगाने के लिए Maharashtra State Road Transport Corporation (एमएसआरटीसी) और परिवहन विभाग ने अहम फैसला लिया है।

नए नियम के अनुसार एसटी बस के अधिकृत ठहराव वाले होटलों पर यात्रियों को **सिर्फ 40 रुपये मे चाय और नाश्ता** उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

40 रुपये में क्या मिलेगा ?

एमएसआरटीसी द्वारा तय किए गए नियम के अनुसार 40 रुपये में यात्रियों को चाय के साथ इनमें से कोई एक नाश्ता दिया जाएगा:

- पोहा
- शिरा
- पाव वडा

इस व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों को कम कीमत में अच्छा नाश्ता उपलब्ध कराना है।

क्यों लेना पड़ा यह फैसला ?

लंबी दूरी की एसटी बसें यात्रा के दौरान कुछ तय होटलों पर रुकती हैं। इन होटलों में कई बार चाय, कॉफी, नाश्ता और पानी की बोतल के लिए एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूली जाती थी।

कम गुणवत्ता वाले खाने के बावजूद ज्यादा पैसे लिए जाने की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं। खासकर परिवार के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को इसका ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था।

पूरे राज्य में लागू होगा नियम

यह नियम महाराष्ट्र में उन सभी होटलों पर लागू होगा जहां एसटी बसें नियमित रूप से रुकती हैं। इन होटलों के लिए तय कीमतों का पालन करना अनिवार्य होगा।

यात्रियों को कैसे मिलेगा फायदा ?

तय दरें लागू होने के बाद होटल संचालक मनमानी कीमतें नहीं वसूल पाएंगे। इससे यात्रियों को उचित कीमत पर चाय-नाश्ता मिलेगा और यात्रा के दौरान होने वाली अतिरिक्त खर्च की समस्या कम होगी।

परिवहन विभाग के इस फैसले से एसटी यात्रियों और परिवहन व्यवस्था के बीच विश्वास और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.